Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **धौलपुर में शैलेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक व अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर 15,00/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 25 मार्च, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी धौलपुर द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक व अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक समाज कल्याण विभाग धौलपुर को **15,00/– रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी धौलपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी ने समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजन स्कूटी योजना में करीब चार महीने पहले आवेदन किया था, समाज कल्याण से सरकारी योजना के अन्तर्गत ट्राई स्कूटी मिली थी स्कूटी के कागजात धौलपुर समाज कल्याण विभाग से प्राप्त नहीं हुये थे, समजा कल्याण विभाग धौलपुर में पदस्थापित श्री शैलेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक शर्मा, कनिष्ठ सहायक स्कूटी के कागजात देने की एवज में 2,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहे थे, आरोपी अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक ने 500/– रूपये पूर्व में ले लिये थे, और अब 1500/– रूपये रिश्वत और मांग कर परेशान कर रहा था।

जिस पर एसीबी भरतपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी धौलपुर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेन्द्र सिंह** के नेतृत्व में ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपीगण श्री शैलेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक व अभिषेक शर्मा कनिष्ठ सहायक कार्यालय समाज कल्याण विभाग धौलपुर को 1500/–रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास मिली डायरी जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त डायरी में रिश्वत राशि के अलावा 7500/–रूपये और बरामद हुये है जो संभवतया अन्य व्यक्तियों से प्राप्त की गई रिश्वत राशि होना प्रतीत होती है जिसके संबंध में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।